

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 1 (53)/68-ए० ई० एण्ड (1), दिनांक 2 मई, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

(ख) उपर्युक्त दस्तावेजों को उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में विहित अवधि के अन्दर सभा-मटल पर न रखे जा सकने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त मद (क) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-मटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [Placed in Library. See No. LT—3129/72].

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) (क) भारतीय सीमेट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारतीय सीमेट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [Placed in Library. See. No. LT—3130/72].

(दो) (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलूर के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलूर, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[Placed in Library See No. LT—3131/72].

NOTE ON "TOWARDS AN APPROACH TO THE FIFTH PLAN"

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KEDAR NATH SINGH) : I beg to lay on the Table a Note (Hindi and English versions) entitled 'Towards an Approach to the Fifth Plan' as considered by the National Development Council. [Placed in Library. See No. LT—3132/72].

FINANCIAL COMMITTEES, 1971-72 (A REVIEW)

SECRETARY : I lay on the Table a copy of 'Financial Committees. 1971-72 (A Review)'.

12.56 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha :—

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha, that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 29th May, 1972, agreed without any amendment to the Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1972, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd May, 1972."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 29th May, 1972, agreed without any